

Section

Section 1: Introduction

Section 2: Objectives

Section 3: Scope

Section 4: Definitions

Section 5: References

This document is intended to provide a comprehensive overview of the project's goals and objectives. It outlines the scope of the work and defines the key terms used throughout the report. The purpose of this document is to ensure that all stakeholders have a clear understanding of the project's direction and the roles and responsibilities of each team member. The document also serves as a reference for the project's progress and outcomes.

The project is designed to address the current challenges faced by the organization and to provide a sustainable solution. The objectives of the project are to improve operational efficiency, reduce costs, and enhance customer satisfaction. The project will be implemented in a phased manner, with regular communication and reporting to ensure transparency and accountability.

Section 6: Project Management

Section 7: Risk Management

Section 8: Conclusion

Section 9: Appendix

Section 10: Glossary

Section 11: Index

Section 12: Bibliography

Section 13: Acknowledgments

Section 14: Contact Information

Appendix A

- ✓ Appendix B: Detailed Project Schedule
- ✓ Appendix C: Financial Projections
- ✓ Appendix D: Market Research Data
- ✓ Appendix E: Customer Feedback Analysis
- ✓ Appendix F: Risk Assessment Matrix
- ✓ Appendix G: Project Charter
- ✓ Appendix H: Stakeholder Register
- ✓ Appendix I: Communication Plan
- ✓ Appendix J: Project Closure Report



- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्धारित वार्षिक/द्वैवार्षिक के अनुसूचित निरीक्षण एवं संचालन शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित विधि/निर्देश/अपेक्षित/संशोधन/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2010 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2010 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन/ऑपरेशन/अकादमिक से अनुसूचित निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त आवश्यकताएं संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग/उच्च प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा वाद को के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग धारा होने के पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन/ऑपरेशन/अकादमिक से अनुसूचित पालन कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा प्रवेश परीक्षा काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अभाव पाठ्यार्थ प्रवेश अनुसूचित प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्धारित वार्षिक/द्वैवार्षिक आवागमन नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्थापना, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, वार्षिक/द्वैवार्षिक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-विवरण हेतु संयुक्त मातृसंस्थान उपलब्ध करने के साथ निरंतर होने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में पालयिता सम्बन्धित कार्यलय को चलते चलते हेतु निर्देशन समिति के समस्त आवश्यक कार्य गये अभिनेता, भूमि/समाज, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित समस्त कार्य करने की कार्यकारी की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक सार्वजनिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एडमिनिस्ट्रेशन/ऑपरेशन/अकादमिक से अनुसूचित/अपेक्षित के माध्यम/द्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य करनी की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित नहीं का अनुपालन न करने वाले संस्था कार्य का उपलब्ध करने वाले की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूचित/अपेक्षित कार्यकारी की जायेगी।


(सचिव/अध्यक्ष संस्था)

सचिव

सूचना- प्राविधिक शिक्षा संचालन/2022/1818-8438

दिनांक: 30/08/2022

प्राविधिक शिक्षा

संशोधन/निर्देशक, PSEB SINGH COLLEGE OF PHARMACY

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2020/1879

लखनऊ: दिनांक: 14-8-2020

—कार्यालय द्वारा—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय जीएच इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संकेत सं. 2020-21 हेतु विभिन्न राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवहन हुई। बैठक में सचिव द्वारा सं. 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/सदस्यत्व/प्रवेश अथवा वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करने हेतु सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने वाले का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुसूचन में सम्बद्धता समिति की बैठक को सं. 3 में विस्तार इस कार्यवाही पर्यन्त संवहनित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रहा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महत्व विद्या-विद्यालय और निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निम्नी श्रेण में स्थापित विद्यालय इस कार्यवाही पर्यन्त संवहनित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सं. 2020-21 हेतु वीकलीआर्इंग द्वारा उन्हें सम्बन्धित अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं से वीकलीआर्इंग द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार को अनुसूचन लाने का सम्बन्ध अधिकार सदस्यत्व/प्रवेश अथवा को सं. 2020-21 हेतु परिषद की सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिव द्वारा विद्या-विद्यालय किया गया एवं कार्यवाही से वीकलीआर्इंग द्वारा प्रदान अनुसूचन विस्तार को अनुसूचन में सं. 2020-21 हेतु परिषद की सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 की अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय की अनुसूचन में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सं. 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों की अधीन पर्यन्त एव उसी अधीन प्रवेश अथवा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	विद्यालय	संस्था का नाम	पर्यन्तक का नाम	वीकलीआर्इंग द्वारा सं. 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश अथवा	वीकलीआर्इंग/सचिव द्वारा सं. 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश अथवा
1	2020	एम डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज, किरासा-कुशीनगर, पीएचएम, अमराठी	किरासा एच. कर्णी	६०	६०

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एकाईकॉलेज/वीकलीआर्इंग द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद विभागाध्यक्ष 1992 संस्था विभागाध्यक्ष-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा सुदूर निर्देशन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों की वीकली पर्यन्तक की हेतु ₹ 20,150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों कार्यवाही पर्यन्तक हेतु ₹ 41,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वीकली पर्यन्तक की वीकली कार्यवाही पर्यन्तक के प्रतिवर्ष हेतु ₹ 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश अथवा/प्रवेश से अंत किए जायेंगा। पर्यन्तक की अधीनता प्राप्त/प्राप्तों से शुल्क को संस्था में सहा-सहा पर प्रदान द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धित प्रकृति होने, और सदस्यता कार्यवाही किए

**अवगतम्,
राज्य परिषद विद्या परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या - परिषद/परिषद सम्बन्ध/2021/ १११३

दिनांक: १७/१/२०२१

-सर्वोच्च स्तर-

उच्चतर आयोग (उच्चतर) विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश/राज्यीय उच्चतर आयोग द्वारा निर्धारित वर्ष 2021-22 हेतु विद्यापीठ/राज्यीय उच्चतर आयोगों को अनुदान प्रदान किए जाने के अर्थ में परिषद विद्या परिषद, 2020 सरकार से सम्बन्ध/सम्बन्ध विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 8-8-2021 को परिषद उच्चतर से सम्बन्ध सचिवालय की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिवालय द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बन्ध/ नए से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बन्ध विस्तार/ पदव्यवस्था/ अन्य संस्था सृष्टि सहित अन्य बातों पर विचार कराया हुआ वर्ष 2021-22 हेतु सम्बन्ध/सम्बन्ध विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

उस के अनुसार ही सम्बन्ध सचिवालय की बैठक में निम्ने पाँच संस्था के अनुदान में निम्न संस्था को परिषद विद्या परिषद, 20-22 सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित धरों में उच्चतर पदव्यवस्था एवं इसमें उचित वृद्धि प्रदान हेतु सम्बन्ध प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	संस्था का नाम	वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित द्वारा अनुदानित पदव्यवस्था एवं प्रयोग	परिषद द्वारा अनुदानित वृद्धि संख्या
01	डॉ. विद्या परिषद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार, विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश	दिनांक 22 फरवरी-20	00

सम्बन्ध हेतु शर्तें

- ✓ संस्था को निम्नलिखित धरों पर अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश परिषद विद्या परिषद एवं 1992 तथा परिषद विद्या परिषद दिनांक 1992, केन्द्रीय विद्यापीठ-2016 तथा अन्य विभिन्न विद्यापीठों एवं संस्थाओं का अनुदान को देगी तथा कुल निधिगत सचिवालय द्वारा निर्धारित कुल रकम अधिकतम न्यूनतम पदव्यवस्था हेतु ₹ 20,15,00,00/- (बीस करोड़, दस लाख पचास हजार) हेतु ₹ 4,00,00,00/- (चौरस करोड़) तक तथा दो करोड़ पचास हजार (दो करोड़ पचास हजार) पदव्यवस्था के अधीन हेतु ₹ 2,25,00,00/- (दो करोड़ पचास हजार) तक से प्राप्त किया जायेगा। उच्चतर के उच्चतर उच्चतरों से कुल के सम्बन्ध में संस्था-सम्बन्ध का संबंध द्वारा निर्धारित करने वाले उच्चतर उच्चतर उच्चतरों को, जो अनुदान उच्चतरों के लिए उच्चतर उच्चतर है। यह निर्धारण सचिवालय द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु किया जा चुका है, जो उच्चतर की उच्चतरों को देना होगा।
- ✓ संस्था को 2020 परिषद विद्या परिषद तथा उत्तर प्रदेश, संस्थाओं को सम्बन्ध विद्या (उच्चतर) दिनांक 2020 की शर्तों का अनुदान प्रदान होगा।
- ✓ संस्था को अनुदान उच्चतर उच्चतर द्वारा उच्चतर उच्चतरों को ही उच्चतर दिया जायेगा। उच्चतर के लिए यह उच्चतर की निर्धारित उच्चतर की उच्चतर को उच्चतरों को देना है।
- ✓ संस्था को उच्चतर-उच्चतर या निर्धारित उच्चतरों के अनुदान निर्धारण पर सम्बन्ध कुल उच्चतर उच्चतर होगा।
- ✓ संस्था को निम्नलिखित धरों पर अनुदान प्रदान किया जायेगा उच्चतर उच्चतर होगा।
- ✓ संस्था उच्चतर उच्चतर द्वारा उच्चतर उच्चतर निर्धारित, उच्चतर, उच्चतर, उच्चतर, निर्धारित या निर्धारित, परिषद विद्या परिषद, 2020, अनुदान उच्चतर उच्चतर, 2020 तथा परिषद विद्या परिषद, 2020 द्वारा उच्चतर उच्चतर निर्धारित, निर्धारित, उच्चतर, निर्धारित या उच्चतर उच्चतर के निर्धारित उच्चतर होगा।

जाना आवश्यक होगा। पीएस निर्वाचन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीएस का पुनर्निर्वाचन किया जाता है, तो पीएस की स्वीकृति भी लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों को प्रवेश वा जाने की स्थिति में उल्लेख प्रवेश प्रमाण के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सलाहदेय के अनुसार निर्देशान एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एमएचई/पीसीआई/पीसीआई/पीसीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उल्लेख प्रवेश प्रमाण द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/सलाहदेयों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, एमएचई, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, एमएचई तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, एमएचई द्वारा बनाये गये विनियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ स्थानीय इन चार्जगी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली के अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में संस्था उल्लेखित संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सहायक रहती होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उल्लेख प्रवेश प्रमाण को कोई भी उल्लेखित किया जाता है तथा समय-समय के समय में न, आवश्यकता हुआ किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ स्थानीय इन चार्जगी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उल्लेख प्रवेश प्रमाण द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्रमाण होने से पूर्व पीसीआई/एमएचई से अनुमोदन प्राप्त का विधि कार्यलय को आवश्यक बताया होगा संस्था उन्हें प्रवेश की (आवृत्ति) के माध्यम से प्रवेश प्रमाण पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उल्लेख प्रवेश प्रमाण द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत स्वीकृति प्रमाण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की दैनिकीय बुकिंग, स्टॉक, साल-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, प्रमाणित सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त उल्लेखित प्रमाणित करने के साथ निम्न लेखने के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक मासिक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रमाणित/संबंधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशक समिति को समस्त उपकरण बनाने एवं अधिनियम, बुकिंग-सूचना, कर्मियों, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संयोजन में प्रयोग किया जाता है और विधि को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उल्लेख संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

स/स (आवृत्ति) शिक्षा
सचिव

पुत्र-0- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

सद दिनांक: 15-06-2020

प्राथमिक-आवृत्ति/निदेशक, डीम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मसी, सिविल-मुंजा नगर, पीसी-अजमेर, राजस्थान।


Principal
P. S. Singh College of Pharmacy
Munja Nagar-Udaipur

स/स (आवृत्ति) शिक्षा
सचिव